

इस्लाम आतंक या आदर्श?

लेखक

स्वामी लक्ष्मीशंकराचार्य

प्रकाशक

ओम प्रकाश अवस्थी

टी-3, 28 टी.बी. कालोनी

साइट नं०-1, क्रिदवई नगर, कानपुर (यू.पी.)

ISLAM AATANK YA AADARSH? (HINDI)

© लेखक

इस पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की लिखित अनुमति के बिना इसके किसी भी अंश को फ़ोटोकॉपी एवं रिकार्डिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक अथवा मशीनी, किसी भी माध्यम से, अथवा ज्ञान के संग्रहण एवं पुनर्प्रयोग की प्रणाली द्वारा, किसी भी रूप में, पुनरुत्पादित अथवा संचारित-प्रसारित नहीं किया जा सकता।

• • •

पुस्तक मंगाने के लिए सम्पर्क करें

09212117559 09212567559

e-mail : mssbookservice@gmail.com

संस्करण : 2010 ई.
पृष्ठ : 96
मूल्य : 100.00
मुद्रक : एच. एस. आफसेट, नई दिल्ली

विषय-सूची

कुछ इस्लामी पारिभाषिक शब्द	4
जब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ	5
एक सुनियोजित साजिश	7
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की संक्षिप्त जीवनी	9
इस्लाम और आतंक	22
कुरआन की वे चौबीस आयतें	29
कुरआन के आदर्श	54
मानवता की भलाई के लिए अनुकरणीय श्रेष्ठ सदाचार है, इस्लाम में :	61
इस्लाम में आदर्श न्याय	63
इस्लाम में दुनिया का सर्वोच्च व्यावहारिक मानवीय आदर्श	66
पैगम्बर मुहम्मद (सल्ल०) के वचन	71
सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम	75
सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम में आश्चर्यजनक समानताएं	76
तनिक सोचें!	86
हम सबका कर्तव्य	91
समर्पण	93
पाठकों से अपील	96

कुरआन की वे चौबीस आयतें

कुछ लोग कुरआन की 24 आयतों वाला एक पैम्फलेट कई सालों से देश की जनता के बीच बांट रहे हैं जो भारत की लगभग सभी मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं में छपता है। इस पैम्फलेट का शीर्षक है 'कुरआन की कुछ आयतें जो ईमानवालों (मुसलमानों) को अन्य धर्मावलम्बियों से झगड़ा करने का आदेश देती हैं', जैसा कि किताब की शुरुआत में 'जब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ' में मैंने लिखा है कि इसी पर्चे को पढ़कर मैं भ्रमित हो गया था। यह पर्चा जैसा छपा है, वैसा ही नीचे दे रहा हूँ:

कुरआन की कुछ आयतें जो ईमानवालों (मुसलमानों) को अन्य धर्मावलम्बियों से झगड़ा करने का आदेश देती हैं।

1- "फिर, जब हराम के महीने बीत जाएं, तो 'मुश्रिकों' को जहाँ कहीं पाओ क्रतल करो, और पकड़ो, और उन्हें घेरो, और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे 'तौबा' कर लें, नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें, तो उनका मार्ग छोड़ दो। निःसन्देह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करनेवाला है।" (10, 9, 5)

2- "हे 'ईमान' लानेवालो! 'मुश्रिक' (मूर्तिपूजक) नापाक हैं।" (10, 9, 28)

3- "निःसन्देह 'काफ़िर' तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।" (5, 4, 101)

4- "हे 'ईमान' लानेवालो! (मुसलमानो!) उन 'काफ़िरों' से लड़ो जो तुम्हारे आस-पास हैं, और चाहिए कि वे तुममें सख़्ती पायें।" (11, 9, 123)

5- "जिन लोगों ने हमारी 'आयतों' का इनकार किया, उन्हें हम जल्द अग्नि में झोंक देंगे। जब उनकी खालें पक जायेंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि वे यातना का रसास्वादन कर लें। निःसन्देह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है।" (5, 4, 56)

6- “हे ‘ईमान’ लानेवालो! (मुसलमानो!) अपने बापों और भाइयों को अपना मित्र मत बनाओ यदि वे ‘ईमान’ की अपेक्षा ‘कुफ़र’ को पसन्द करें। और तुम में से जो कोई उनसे मित्रता का नाता जोड़ेगा, तो ऐसे ही लोग ज़ालिम होंगे।” (10, 9, 23)

7- “अल्लाह ‘काफ़िर’ लोगों को मार्ग नहीं दिखाता।” (10, 9, 37)

8- “हे ‘ईमान’ लानेवालो! -----और ‘काफ़िरो’ को अपना मित्र मत बनाओ। अल्लाह से डरते रहो यदि तुम ईमान वाले हो।”

(6, 5, 57)

9- “फिटकारे हुए (गैरमुस्लिम) जहाँ कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह क़त्ल किए जाएंगे।” (22, 33, 61)

10- “(कहा जाएगा) : निश्चय ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते थे ‘जहन्नम’ का ईंधन हो। तुम अवश्य उसके घाट उतरोगे।”

(17, 21, 98)

11- “और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जिसे उसके ‘रब’ की ‘आयतों’ के द्वारा चेताया जाए, और फिर वह उनसे मुंह फेर ले। निश्चय ही हमें ऐसे अपराधियों से बदला लेना है।” (21, 32, 22)

12- “अल्लाह ने तुमसे बहुत-सी ‘ग़नीमतों’ (लूट) का वादा किया है जो तुम्हारे हाथ आएंगी।” (26, 48, 20)

13- “तो जो कुछ ‘ग़नीमत’ (लूट) का माल तुमने हासिल किया है उसे ‘हलाल’ व पाक समझकर खाओ,” (10, 8, 69)

14- “हे नबी! ‘काफ़िरो’ और ‘मुनाफ़िक़ो’ के साथ जिहाद करो, और उनपर सख़्ती करो और उनका ठिकाना ‘जहन्नम’ है, और बुरी जगह है जहाँ पहुँचे।” (28, 66, 9)

15- “तो अवश्य हम ‘कुफ़र’ करनेवालों को यातना का मज़ा चखाएंगे, और अवश्य ही हम उन्हें सबसे बुरा बदला देंगे उस कर्म का जो वे करते थे।”

(24, 41, 27)

16- “यह बदला है अल्लाह के शत्रुओं का (‘जहन्नम’ की) आग। इसी में उनका सदा घर है, इसके बदले में कि हमारी ‘आयतों’ का इन्कार करते थे।”

(24, 41, 28)

17- “निःसन्देह अल्लाह ने ‘ईमान’ वालों (मुसलमानों) से उनके प्राणों और मालों को इसके बदले में ख़रीद लिया है कि उनके लिए ‘जन्नत’ है वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं।”

(11, 9, 111)

18- “अल्लाह ने इन मुनाफ़िक (अर्ध मुस्लिम) पुरुषों और मुनाफ़िक स्त्रियों और ‘काफ़िरों’ से ‘जहन्नम’ की आग का वादा किया है जिसमें वे सदा रहेंगे। यही उन्हें बस है। अल्लाह ने उन्हें लानत की और उनके लिए स्थायी यातना है।”

(10, 9, 68)

19- “हे नबी! ‘ईमान’ वालों (मुसलमानों) को लड़ाई पर उभारो। यदि तुममें 20 जमे रहनेवाले होंगे तो वे 200 पर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे, और यदि तुम में 100 हों तो 1000 ‘काफ़िरों’ पर भारी रहेंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझ-बूझ नहीं रखते।”

(10, 8, 65)

20- “हे ईमान लाने वालो (मुसलमानो) तुम ‘यहूदियों’ और ‘ईसाइयों’ को मित्र न बनाओ। ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। और जो कोई तुम में से उनको मित्र बनाएगा, वह उन्हीं में से होगा। निस्सन्देह अल्लाह जुल्म करने वालों को मार्ग नहीं दिखाता।”

(6, 5, 51)

21- “किताब वाले जो न अल्लाह पर ‘ईमान’ लाते हैं न अन्तिम दिन पर, न उसे ‘हराम’ करते हैं जिसे अल्लाह और उसके ‘रसूल’ ने हराम ठहराया है, और न सच्चे ‘दीन’ को अपना दीन बनाते हैं, उनसे लड़ो यहाँ तक कि वे अप्रतिष्ठित (अपमानित) होकर अपने हाथों से ‘जिज़या’ देने लगें।”

(10, 9, 29)

22- “-----फिर हमने उनके बीच ‘क्रियामत’ के दिन तक के लिए वैमनस्य और द्वेष की आग भड़का दी, और अल्लाह जल्द उन्हें बता देगा जो कुछ वे करते रहे हैं।”

(6, 5, 14)

23- “वे चाहते हैं कि जिस तरह से वे ‘काफ़िर’ हुए हैं उसी तरह से तुम भी ‘काफ़िर’ हो जाओ, फिर तुम एक जैसे हो जाओ तो उनमें से किसी को अपना साथी न बनाना जब तक वे अल्लाह की राह में हिजरत न करें, और यदि वे इससे फिर जावें तो उन्हें जहाँ कहीं पाओ पकड़ो और उनका वध (क़त्ल) करो। और उनमें से किसी को साथी और सहायक मत बनाना।” (5, 4, 89)

24- “उन (काफ़िरों) से लड़ो! अल्लाह तुम्हारे हाथों उन्हें यातना देगा, और उन्हें रुसवा करेगा और उनके मुक्काबले में तुम्हारी सहायता करेगा, और ‘ईमान’ वालों के दिल ठंडे करेगा।” (10, 9, 14)

उपरोक्त आयतों से स्पष्ट है कि इनमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कपट, लड़ाई-झगड़ा, लूट-मार और हत्या करने के आदेश मिलते हैं। इन्हीं कारणों से देश व विश्व में मुस्लिमों व ग़ैर-मुस्लिमों के बीच दंगे हुआ करते हैं।

दिल्ली प्रशासन ने सन् 1985 में सर्व श्री इन्द्रसेन शर्मा और राजकुमार आर्य के विरुद्ध दिल्ली के मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में, उक्त पत्रक छापने के आरोप में मुक़दमा किया था। न्यायालय ने 31 जुलाई 1986 को उक्त दोनों महानुभावों को बरी करते हुए निर्णय दिया कि :

“कुरआन मजीद की पवित्र पुस्तक के प्रति आदर रखते हुए उक्त आयतों के सूक्ष्म अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये आयतें बहुत हानिकारक हैं और घृणा की शिक्षा देती हैं, जिससे मुसलमानों और देश के अन्य वर्गों में भेदभाव को बढ़ावा मिलने की सम्भावना होती है।”

हिन्दू रायटर्स फोरम, नई दिल्ली-27 द्वारा पुनर्मुद्रित एवं प्रकाशित।

ऊपर दिए गए इस पैम्फ्लेट का सबसे पहले पोस्टर छपा गया था, जिसे श्री इन्द्रसेन शर्मा (तत्कालीन उप प्रधान, हिन्दू महासभा, दिल्ली) और श्री राजकुमार आर्य ने छपवाया था। इस पोस्टर में कुरआन मजीद की आयतें, मुहम्मद फारूक ख़ां द्वारा हिन्दी में अनुवादित तथा मक्तबा अल हसनात रामपुर से 1966 में प्रकाशित कुरआन मजीद से ली गई थीं। यह पोस्टर छापने के कारण इन दोनों लोगों पर इण्डियन पेनल कोड की धारा 153 ए और 165 ए के अन्तर्गत (एफ़0 आई0 आर0 237/83यू0/एस, 235ए, 1पी0सी0 हौज़ क्राज़ी, पुलिस स्टेशन दिल्ली में) मुक़दमा दर्ज किया गया था जिसमें उक्त फ़ैसला हुआ।

अब हम देखेंगे कि क्या इस पैम्फ्लेट की ये आयतें वास्तव में विभिन्न वर्गों के बीच घृणा फैलाने व झगड़ा करानेवाली हैं?

पैम्फ्लेट में लिखी पहले क्रम की आयत है :

“फिर, जब हराम के महीने बीत जाएं, तो ‘मुश्रिकों’ को जहाँ कहीं पाओ क़त्ल करो, और पकड़ो, और उन्हें घेरो, और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे ‘तौबा’ कर लें नमाज़ कायम

करें और, ज़कात दें, तो उनका मार्ग छोड़ दो। निःसन्देह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करनेवाला है।”

(कुरआन, सूरा- 9, आयत- 5)

इस आयत के संदर्भ में जैसा कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की जीवनी से स्पष्ट है कि मक्का में और मदीना जाने के बाद भी मुश्रिक काफ़िर कुरैश, अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के पीछे पड़े थे। वे मुहम्मद (सल्ल०) को और सत्य-धर्म इस्लाम को समाप्त करने के लिए हर सम्भव कोशिश करते रहते। काफ़िर कुरैश ने अल्लाह के रसूल को कभी चैन से बैठने नहीं दिया। वे उनको सदैव सताते ही रहे। इसके लिए वे सदैव लड़ाई की साज़िश रचते रहते।

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के हिज़रत के छठवें साल ज़ीक्रादा महीने में आप (सल्ल०) सैकड़ों मुसलमानों के साथ हज़ के लिए मदीना से मक्का रवाना हुए। लेकिन मुनाफ़िकों (यानी कपटाचारियों) ने इसकी ख़बर कुरैश को दे दी। कुरैश पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) को घेरने का कोई मौक़ा हाथ से जाने न देते। इस बार भी वे घात लगाकर रास्ते में बैठ गए। इसकी ख़बर मुहम्मद (सल्ल०) को लग गई। आपने रास्ता बदल दिया और मक्का के पास हुदैबिया कुएं के पास पड़ाव डाला। कुएं के नाम पर ही इस जगह का नाम हुदैबिया था।

जब कुरैश को पता चला कि मुहम्मद अपने अनुयायी मुसलमानों के साथ मक्का के पास पहुँच चुके हैं और हुदैबिया पर पड़ाव डाले हुए हैं, तो काफ़िरों ने कुछ लोगों को आपकी हत्या के लिए हुदैबिया भेजा, लेकिन वे सब पहले ही मुसलमानों के द्वारा पकड़ लिए गए और अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के सामने लाए गए। लेकिन आपने उन्हें ग़लती का एहसास कराकर माफ़ कर दिया।

इसके बाद हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने लड़ाई-झगड़ा, खून-ख़राबा टालने के लिए हज़रत उस्मान (रज़ि०) को कुरैश से बात करने के लिए भेजा। लेकिन कुरैश ने हज़रत उस्मान (रज़ि०) को क़ैद कर लिया। इधर हुदैबिया में पड़ाव डाले अल्लाह के रसूल (सल्ल०) को ख़बर लगी कि हज़रत उस्मान (रज़ि०) क़त्ल कर दिए गए। यह सुनते ही मुसलमान हज़रत उस्मान (रज़ि०) के क़त्ल का बदला लेने के लिए तैयारी करने लगे।

जब कुरैश को पता चला कि मुसलमान अब मरने-मारने को तैयार हैं और अब युद्ध निश्चित है तो बातचीत के लिए सुहैल-बिन-अम्र को हज़रत मुहम्मद

(सल्ल०) के पास हुदैबिया भेजा। सुहैल से मालूम हुआ कि उस्मान (रज़ि०) का क़त्ल नहीं हुआ है, वे कुरैश की क़ैद में हैं। सुहैल ने हज़रत उस्मान (रज़ि०) को क़ैद से आज़ाद करने व युद्ध टालने के लिए कुछ शर्तें पेश कीं।

- पहली शर्त थीह इस साल आप सब बिना उमरा (काबा-दर्शन) किए लौट जाएं। अगले साल आएँ लेकिन तीन दिन बाद चले जाएं।

- दूसरी शर्त थीह हम कुरैश का कोई आदमी मुसलमान बनकर यदि मदीना आए तो उसे हमें वापस किया जाए। लेकिन यदि कोई मुसलमान मदीना छोड़कर मक्का में आ जाए, तो हम वापस नहीं करेंगे।

- तीसरी शर्त थीह कोई भी क़बीला अपनी मर्ज़ी से कुरैश के साथ या मुसलमानों के साथ शामिल हो सकता है।

- समझौते में चौथी शर्त थी किह इन शर्तों को मानने के बाद कुरैश और मुसलमान न एक-दूसरे पर हमला करेंगे और न ही एक-दूसरे के सहयोगी क़बीलों पर हमला करेंगे। यह समझौता 10 साल के लिए हुआ, जो हुदैबिया समझौते के नाम से जाना जाता है।

हालाँकि ये शर्तें एक तरफ़ा और अन्यायपूर्ण थीं, फिर भी शान्ति और सब्र के दूत मुहम्मद (सल्ल०) ने इन्हें स्वीकार कर लिया, ताकि शान्ति स्थापित हो सके।

लेकिन समझौता होने के दो ही साल बाद बनू-बक्र नामक क़बीले ने जो मक्का के कुरैश का सहयोगी था, मुसलमानों के सहयोगी क़बीले खुज़ाआ पर हमला कर दिया। इस हमले में कुरैश ने बनू-बक्र क़बीले का साथ दिया।

खुज़ाआ क़बीले के लोग भागकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के पास पहुँचे और इस हमले की ख़बर दी। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) ने शान्ति के लिए इतना झुककर समझौता किया था इसके बाद भी कुरैश ने धोखा देकर समझौता तोड़ डाला।

अब युद्ध एक आवश्यकता थी, धोखा देनेवालों को दण्डित करना शान्ति स्थापना के लिए ज़रूरी था। इसी ज़रूरत को देखते हुए अल्लाह की ओर से सूरा-9 की आयतें अवतरित हुईं।

इनके अवतरित होने पर नबी (सल्ल०) ने सूरा-9 की आयतें सुनाने के

लिए हज़रत अली (रज़ि०) को मुशिकों के पास भेजा। हज़रत अली (रज़ि०) ने जाकर मुशिकों से यह कहते हुए कि मुसलमानों के लिए अल्लाह का फ़रमान आ चुका है उनको सूरा-9 की ये आयतें सुना दीं :

“(ऐ मुसलमानो! अब) खुदा और उसके रसूल की तरफ़ से मुशिकों से, जिनसे तुमने अहद (समझौता) कर रखा था, बेज़ारी (और जंग की तैयारी) है।

तो (मुशिको! तुम) ज़मीन में चार महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम खुदा को आजिज़ न कर सकोगे और यह भी कि खुदा काफ़िरों को रुसवा करनेवाला है।

और हज्जे-अक़बर के दिन खुदा और उसके रसूल की तरफ़ से लोगों को आगाह किया जाता है कि खुदा मुशिकों से बेज़ार है और उसका रसूल भी (उनसे दस्तबरदार है)। पस अगर तुम तौबा कर लो, तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है और न मानो (और खुदा से मुक़ाबला करो) तो जान रखो कि तुम खुदा को हरा नहीं सकोगे और (ऐ पैग़म्बर!) काफ़िरों को दुःख देनेवाले अज़ाब की ख़बर सुना दो।”

(क़ुरआन, सूरा-9, आयत- 1-3)

अली ने मुशिकों से कह दिया कि “यह अल्लाह का फ़रमान है अब समझौता टूट चुका है और यह तुम्हारे द्वारा तोड़ा गया है इसलिए अब इज़ज़त के चार महीने बीतने के बाद तुमसे जंग (यानी युद्ध) है।”

समझौता तोड़कर हमला करने वालों पर जवाबी हमला कर उन्हें कुचल देना मुसलमानों का हक़ बनता था, वह भी मक्का के उन मुशिकों के विरुद्ध जो मुसलमानों के लिए सदैव से अत्याचारी व आक्रमणकारी थे। इसी लिए सर्वोच्च न्यायकर्ता अल्लाह ने पांचवीं आयत का फ़रमान भेजा।

इस पांचवीं आयत से पहले वाली चौथी आयत है :

“अलबत्ता, जिन मुशिकों के साथ तुमने अहद किया हो, और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कुसूर न किया हो और न तुम्हारे मुक़ाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो, उसे पूरा करो (कि) खुदा परहेज़गारों को दोस्त रखता है।”

(क़ुरआन, सूरा-9, आयत-4)

इससे स्पष्ट है कि जंग का यह एलान उन मुश्रिकों के विरुद्ध था जिन्होंने युद्ध के लिए उकसाया, मजबूर किया, उन मुश्रिकों के विरुद्ध नहीं जिन्होंने ऐसा नहीं किया। युद्ध का यह एलान आत्मरक्षा व धर्मरक्षा के लिए था।

अतः अन्यायियों, अत्याचारियों द्वारा ज़बरदस्ती थोपे गए युद्ध से अपने बचाव के लिए किए जानेवाले किसी भी प्रकार के प्रयास को किसी भी तरह झगड़ा कराने वाला नहीं कहा जा सकता।

अत्याचारियों और अन्यायियों से अपनी व अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना और युद्ध के लिए सैनिकों को उत्साहित करना धर्मसम्मत है।

इस पर्वे को छापने और बाँटने वाले लोग क्या नहीं जानते कि अत्याचारियों और अन्यायियों के विनाश के लिए ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्या यह उपदेश लड़ाई-झगड़ा करानेवाला या घृणा फैलाने वाला है? यदि नहीं, तो फिर कुरआन के लिए ऐसा क्यों कहा जाता है?

फिर यह पूरी सूरा उस समय मक्का के अत्याचारी मुश्रिकों के विरुद्ध उतारी गई, जो अल्लाह के रसूल के ही भाई-बन्धु कु़रैश थे। फिर इसे आज के सन्दर्भ में और हिन्दुओं के लिए क्यों लिया जा रहा है? क्या यह हिन्दुओं व अन्य ग़ैर-मुस्लिमों को उकसाने और उनके मन में मुसलमानों के लिए घृणा भरने तथा इस्लाम को बदनाम करने की घृणित साज़िश नहीं है?

पैम्फ़लेट में लिखी दूसरे क्रम की आयत है :

“हे ‘ईमान’ लानेवालो! ‘मुश्रिक’ (मूर्तिपूजक) नापाक हैं।”

(कुरआन, सूरा-9, आयत- 28)

लगातार झगड़ा-फ़साद, अन्याय-अत्याचार करनेवाले अन्यायी, अत्याचारी अपवित्र नहीं हैं तो और क्या हैं?

पैम्फ़लेट में लिखी तीसरे क्रम की आयत है :

“निःसन्देह ‘काफ़िर’ तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।”

(कुरआन, सूरा-4, आयत- 101)

वास्तव में जान-बूझकर इस आयत का एक अंश ही दिया गया है।

पूरी आयत ध्यान देकर पढ़ें :

“और जब तुम सफ़र को जाओ, तो तुमपर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज़ को कम करके पढ़ो, बशर्ते कि तुमको डर हो कि काफ़िर लोग तुमको ईज़ा (तकलीफ़) देंगे। बेशक काफ़िर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।”

(क़ुरआन, सूरा-4, आयत- 101)

इस पूरी आयत से स्पष्ट है कि मक्का व आस-पास के काफ़िर जो मुसलमानों को सदैव नुक़सान पहुंचाना चाहते थे (देखिए हज़रत मुहम्मद सल्ल० की जीवनी), ऐसे दुश्मन काफ़िरों से सावधान रहने के लिए ही इस 101वीं आयत में कहा गया है “कि निःसन्देह ‘काफ़िर’ तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।”

इससे अगली 102वीं आयत से यह और स्पष्ट हो जाता है जिसमें अल्लाह ने और सावधान रहने का फ़रमान दिया है कि :

“और (ऐ पैग़म्बर !) जब तुम उन (मुजाहिदों के लश्कर) में हो और उनको नमाज़ पढ़ाने लगो, तो चाहिए कि एक जमाअत तुम्हारे साथ हथियारों से लैस होकर खड़ी रहे, जब वे सज्दा कर चुकें तो परे हो जाएं, फिर दूसरी जमाअत, जिसने नमाज़ नहीं पढ़ी (उनकी जगह आए और होशियार और हथियारों से लैस होकर) तुम्हारे साथ नमाज़ अदा करे। काफ़िर इस घात में हैं कि तुम ज़रा अपने हथियारों और सामानों से गाफ़िल हो जाओ तो तुम पर एकबारगी हमला कर देंगे।”

(क़ुरआन, सूरा-4, आयत-102)

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) की जीवनी व ऊपर लिखे तथ्यों से स्पष्ट है कि मुसलमानों के लिए काफ़िरों से अपनी व अपने धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। अतः इस आयत में झगड़ा कराने, घृणा फैलाने या कपट करने जैसी कोई बात नहीं है, जैसा कि पैम्फ़लेट में लिखा गया है। जबकि जान-बूझकर कपटपूर्ण ढंग से आयत का मतलब बदलने के लिए आयत के केवल एक अंश को लिखकर और शेष को छिपाकर जनता को वरगलाने, घृणा फैलाने व झगड़ा कराने का कार्य तो वे लोग कर रहे हैं, जो इसे छापने व पूरे देश में बांटने का कार्य कर रहे हैं। जनता ऐसे लोगों से सावधान रहे।

पैम्फ़लेट में लिखी चौथे क्रम की आयत है :

“हे ‘ईमान’ लानेवालो! (मुसलमानो!) उन ‘काफ़िरों’ से लड़ो जो तुम्हारे आस-पास हैं, और चाहिए कि वे तुममें सख़्ती पाएं।”

(क़ुरआन, सूरा-9, आयत- 123)

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) की जीवनी व ऊपर लिखे जा चुके तथ्यों से स्पष्ट है कि मुसलमानों को काफ़िरों से अपनी व अपने धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। इसलिए इस आत्मरक्षा वाली आयत को झगड़ा करानेवाली नहीं कहा जा सकता।

पैम्फ़लेट में लिखी 5वें क्रम की आयत है :

“जिन लोगों ने हमारी ‘आयतों’ का इन्कार किया, उन्हें हम जल्द अग्नि में झोंक देंगे। जब उनकी खालें पक जाएँगी तो हम उन्हें दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि वे यातना का रसास्वादन कर लें। निःसन्देह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्त्वदर्शी है।”

(क़ुरआन, सूरा-4, आयत- 56)

यह तो धर्म-विरुद्ध जाने पर दोज़ख़ (यानी नरक) में दिया जानेवाला दण्ड है। सभी धर्मों में उस धर्म की मान्यताओं के अनुसार चलने पर स्वर्ग का अकल्पनीय सुख और विरुद्ध जाने पर नरक का भयानक दण्ड है। फिर क़ुरआन में बताए गए नरक (यानी दोज़ख़) के दण्ड के लिए एतराज़ क्यों? इस मामले में इन पर्चा छापने व बाँटने वालों को हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है?

या फिर क्या इन लोगों को नरक में मानवाधिकारों की चिन्ता सताने लगी है?

पैम्फ़लेट में लिखी छठे क्रम की आयत है :

“हे ‘ईमान’ लाने वालो! (मुसलमानो!) अपने बापों और भाइयों को अपना मित्र मत बनाओ यदि वे ‘ईमान’ की अपेक्षा ‘कुफ़्र’ को पसन्द करें। और तुम में से जो कोई उनसे मित्रता का नाता जोड़ेगा, तो ऐसे ही लोग ज़ालिम होंगे।” (क़ुरआन, सूरा-9, आयत- 23)

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) जब एकेश्वरवाद का सन्देश दे रहे थे, तब कोई

व्यक्ति अल्लाह के रसूल (सल्ल०) द्वारा दिए जा रहे तौहीद (यानी एकेश्वरवाद) के पैग़ाम पर ईमान (यानी विश्वास) लाकर मुसलमान बनता और फिर अपने माँ-बाप, बहन-भाई के पास जाता, तो वे एकेश्वरवाद से उसका विश्वास खत्म कराके फिर से बहुईश्वरवादी बना देते। इस कारण एकेश्वरवाद की रक्षा के लिए अल्लाह ने यह आयत उतारी जिससे एकेश्वरवाद के सत्य को दबाया न जा सके। अतः सत्य की रक्षा के लिए आई इस आयत को झगड़ा कराने वाली या घृणा फैलानेवाली आयत कैसे कहा जा सकता है? जो ऐसा कहते हैं, वे अज्ञानी हैं। पैम्फ़लेट में लिखी 7वें क्रम की आयत है :

“अल्लाह ‘काफ़िर’ लोगों को मार्ग नहीं दिखाता।”

(क़ुरआन, सूरा-9, आयत-37)

आयत का मतलब बदलने के लिए इस आयत को भी जान-बूझकर पूरा नहीं दिया गया, इसलिए इसका सही मक़सद समझ में नहीं आता। इसे समझने के लिए हम आयत को पूरा दे रहे हैं :

“अमन के किसी महीने को हटाकर आगे-पीछे कर देना कुफ़्र में बढ़ोतरी करता है। इससे काफ़िर गुमराही में पड़े रहते हैं। एक साल तो उसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों की, जो खुदा ने मुक़र्रर किये हैं, गिनती पूरी कर लें और जो खुदा ने मना किया है, उसको जायज़ कर लें। उनके बुरे अमल उनको भले दिखाई देते हैं और खुदा काफ़िर लोगों को हिदायत नहीं दिया करता।”

(क़ुरआन, सूरा-9, आयत- 37)

अदब या अमन (यानी शान्ति) के चार महीने होते हैं, वे हैं- ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। इन चार महीनों में लड़ाई-झगड़ा नहीं किया जाता। काफ़िर क़ुरैश इन महीनों में से किसी महीने को अपनी ज़रूरत के हिसाब से जान-बूझकर आगे-पीछे कर लड़ाई-झगड़ा करने के लिए मान्यता का उल्लंघन किया करते थे। अनजाने में भटके हुए को मार्ग दिखाया जा सकता है, लेकिन जानबूझ कर भटके हुए को मार्ग ईश्वर भी नहीं दिखाता। इसी सन्दर्भ में यह

आयत उतरी। इस आयत का लड़ाई-झगड़ा कराने या घृणा फैलाने से कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

पैम्फलेट में लिखी 8वें क्रम की आयत है :

“हे ‘ईमान’ लानेवालो! ----- और ‘काफ़िरों’ को अपना मित्र मत बनाओ। अल्लाह से डरते रहो यदि तुम ईमान वाले हो।”

(कुरआन, सूरा-5, आयत- 57)

यह आयत भी अधूरी दी गई है। आयत के बीच का अंश जान-बूझकर छिपाने की शरारत की गई है। पूरी आयत है :

“ऐ ईमान लानेवालो! जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थीं, उनको और काफ़िरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन [धर्म] को हंसी और खेल बना रखा है, दोस्त न बनाओ और मोमिन हो तो खुदा से डरते रहो।”

(कुरआन, सूरा-5, आयत-57)

आयत को पढ़ने से साफ़ है कि काफ़िर कुरैश तथा उनके सहयोगी यहूदी और ईसाई जो मुसलमानों के धर्म की हंसी उड़ाया करते थे, उनको दोस्त न बनाने के लिए यह आयत आई। यह लड़ाई-झगड़े के लिए उकसाने वाली या घृणा फैलाने वाली कहाँ से है? इसके विपरीत पाठक स्वयं देखें कि पैम्फलेट में ‘जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी और खेल बना रखा है’, को जान-बूझ कर छिपाकर उसका मतलब पूरी तरह बदल देने की साज़िश करनेवाले क्या चाहते हैं?

पैम्फलेट में लिखी 9वें क्रम की आयत है :

“फिटकारे हुए (गैर-मुस्लिम) जहाँ कहीं पाए जायेंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह क़त्ल किए जाएंगे।”

(कुरआन, सूरा-33, आयत-61)

इस आयत का सही मतलब तभी पता चलता है जब इसे इसके पहले वाली 60वीं आयत से जोड़ा जाए।

“अगर मुनाफ़िक़ [यानी कपटाचारी] और वे लोग जिनके दिलों में

इस्लाम : आतंक या आदर्श?

मर्ज है और जो मदीना (के शहर) में बुरी-बुरी खबरें उड़ाया करते हैं,
(अपने किरदार से) रुकेंगे नहीं, तो हम तुमको उनके पीछे लगा देंगे,
फिर वहाँ तुम्हारे पड़ोस में न रह सकेंगे, मगर थोड़े दिन।

(वे भी फिटकारे हुए) जहाँ पाए गए, पकड़े गए और जान से मार
डाले गए।” (कुरआन, सूरा-33, आयत- 60, 61)

उस समय मदीना शहर जहाँ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) का निवास था, कुरैश के हमले का सदैव अन्देशा रहता था। कुछ मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) और यहूदी तथा ईसाई जो मुसलमानों के पास भी आते और काफ़िर कुरैश से भी मिले रहते और अफ़वाहें उड़ाया करते थे। युद्ध जैसे माहौल में जहाँ हमले का सदैव अन्देशा हो, अफ़वाह उड़ाने वाले जासूस कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, इसका अन्दाज़ा किया जा सकता है। आज के क़ानून में भी ऐसे लोगों की सज़ा मौत हो सकती है। वास्तव में शान्ति की स्थापना के लिए उनको यही दण्ड उचित है। यह न्यायसंगत है। अतः इस आयत को झगड़ा करानेवाली कहना दुर्भाग्यपूर्ण है।

पैम्फ़लेट में लिखी 10वें क्रम की आयत है :

“(कहा जाएगा) : निश्चय ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते थे ‘जहन्नम’ का ईंधन हो। तुम अवश्य उसके घाट उतरोगे।” (कुरआन, सूरा-21, आयत-98)

इस्लाम एकेश्वरवादी मज़हब है, जिसके अनुसार एक ईश्वर ‘अल्लाह’ के अलावा किसी दूसरे को पूजना सबसे बड़ा पाप है। इस आयत में इसी पाप के लिए अल्लाह मरने के बाद जहन्नम (यानी नरक) का दण्ड देगा।

पैम्फ़लेट में लिखी पांचवें क्रम की आयत में हम इस विषय में लिख चुके हैं। अतः इस आयत को भी झगड़ा करानेवाली आयत कहना न्यायसंगत नहीं है।

पैम्फ़लेट में लिखी 11वें क्रम की आयत है :

“और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जिसे उसके ‘रब’ की ‘आयतों’ के द्वारा चेताया जाए, और फिर वह उनसे मुंह फेर ले। निश्चय ही हमें ऐसे अपराधियों से बदला लेना है।”

(कुरआन, सूरा-32, आयत- 22)

इस आयत में भी इसके पहले लिखी आयत की ही तरह अल्लाह उन लोगों को नरक का दण्ड देगा जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानते। ये परलोक की बातें हैं अतः इस आयत का सम्बन्ध इस लोक में लड़ाई-झगड़ा कराने या घृणा फैलाने से जोड़ना शरारतपूर्ण हरकत है।

पैम्फ़लेट में लिखी 12वें क्रम की आयत है :

“अल्लाह ने तुमसे बहुत-सी ‘गनीमतों’ (लूट) का वादा किया है जो तुम्हारे हाथ आएंगी,” (क़ुरआन, सूरा-48, आयत-20)

पहले मैं यह बता दूँ कि गनीमत का अर्थ लूट नहीं बल्कि शत्रु की क़ब्ज़ा की गई सम्पत्ति होता है। उस समय मुसलमानों के अस्तित्व को मिटाने के लिए हमले होते या हमले की तैयारी हो रही होती। काफ़िर और उनके सहयोगी यहूदी व ईसाई धन से शक्तिशाली थे। ऐसे शक्तिशाली दुश्मनों से बचाव के लिए उनके विरुद्ध मुसलमानों का हौसला बढ़ाए रखने के लिए अल्लाह की ओर से वायदा हुआ।

यह युद्ध के नियमों के अनुसार जायज़ है। आज भी शत्रु की क़ब्ज़ा की गई सम्पत्ति विजेता की होती है।

अतः इसे झगड़ा करानेवाली आयत कहना दुर्भाग्यपूर्ण है।

पैम्फ़लेट में लिखी 13वें क्रम की आयत है :

“तो जो कुछ ‘गनीमत’ (लूट) का माल तुमने हासिल किया है उसे ‘हलाल’ व पाक समझकर खाओ,”

(क़ुरआन, सूरा-8, आयत-69)

बारहवें क्रम की आयत में दिए हुए तर्क के अनुसार इस आयत का भी सम्बन्ध आत्मरक्षा के लिए किए जानेवाले युद्ध में मिली चल सम्पत्ति से है और युद्ध में हौसला बनाए रखने से है। इसे भी झगड़ा बढ़ानेवाली आयत कहना दुर्भाग्यपूर्ण है।

पैम्फ्लेट में लिखी 14वें क्रम की आयत है :

“हे नबी! ‘काफ़िरों’ और ‘मुनाफ़िक़ों’ के साथ जिहाद करो, और उनपर सख़्ती करो और उनका ठिकाना ‘जहन्नम’ है, और बुरी जगह है जहाँ पहुँचे।” (कुरआन, सूरा-66, आयत- 9)

जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि काफ़िर कुरैश अन्यायी व अत्याचारी थे और मुनाफ़िक़ (यानी कपट करनेवाले कपटाचारी) मुसलमानों के हमदर्द बनकर आते, उनकी जासूसी करते और काफ़िर कुरैश को सारी सूचना पहुँचाते तथा काफ़िरों के साथ मिलकर अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की खिल्ली उड़ाते और मुसलमानों के खिलाफ़ साज़िश रचते। ऐसे अधर्मियों के विरुद्ध लड़ना अधर्म को समाप्त कर धर्म की स्थापना करना है। ऐसे ही अत्याचारी कौरवों के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था :

अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥

(गीता अध्याय 2 श्लोक- 33)

“हे अर्जुन ! किन्तु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को न करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा।”

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् ।

(अध्याय 11, श्लोक 33)

“इसलिए तू उठ ! शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर, यश प्राप्त कर धन-धान्य से सम्पन्न राज्य को भोग।”

पोस्टर या पैम्फ्लेट छापने व बाँटने वाले श्रीमद्भगवद्गीता के इस आदेश को क्या झगड़ा-लड़ाई करानेवाला कहेंगे? यदि नहीं, तो इन्हीं परिस्थितियों में आत्मरक्षा व धर्मरक्षा के लिए अत्याचारियों के विरुद्ध जिहाद (यानी आत्मरक्षा व धर्मरक्षा के लिए युद्ध) करने का फ़रमान देनेवाली आयत को झगड़ा करानेवाली कैसे कह सकते हैं? क्या यह अन्यायपूर्ण नीति नहीं है? आख़िर किस उद्देश्य से यह सब किया जा रहा है?

पैम्फ्लेट में लिखी 15वें क्रम की आयत है :

“तो अवश्य हम ‘कुफ़्र’ करने वालों को यातना का मज़ा चखाएंगे,
और अवश्य ही हम उन्हें सबसे बुरा बदला देंगे उस कर्म का जो वे
करते थे।” (कुरआन, सूरा-41, आयत-27)

उस आयत को तो लिखा जिसमें अल्लाह काफ़ि़रों को दण्डित करेगा,
लेकिन यह दण्ड क्यों मिलेगा? इसकी वजह इस आयत के ठीक पहले वाली
आयत (जिसकी यह पूरक आयत है) में है, उसे ये छिपा गए। अब इन दोनों
आयतों को हम एक साथ दे रहे हैं। पाठक स्वयं देखें कि इस्लाम को बदनाम
करने की साज़िश कैसे रची गई है? :

“और काफ़िर कहने लगे कि इस कुरआन को सुना ही न करो और
(जब पढ़ने लगे तो) शोर मचा दिया करो, ताकि ग़ालिब रहो।

सो हम भी काफ़ि़रों को सख़्त अज़ाब के मज़े चखाएंगे, और बुरे
अमल की जो वे करते थे सज़ा देंगे।”

(कुरआन, सूरा-41, आयत-26, 27)

अब यदि कोई अपनी धार्मिक पुस्तक का पाठ करने लगे या नमाज़ पढ़ने
लगे, तो उस समय बाधा पहुँचाने के लिए शोर मचा देना क्या दुष्टतापूर्ण कर्म
नहीं है? इस बुरे कर्म की सज़ा देने के लिए ईश्वर कहता है, तो क्या वह झगड़ा
कराता है?

मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पाप कर्मों का फल देनेवाली इस आयत में
झगड़ा कराना कैसे दिखाई दिया?

पैम्फ्लेट में लिखी 16वें क्रम की आयत है :

“यह बदला है अल्लाह के शत्रुओं का (‘जहन्नम’ की) आग। इसी
में उनका सदा घर है, इसके बदले में कि हमारी ‘आयतों’ का इन्कार
करते थे।” (कुरआन, सूरा-41, आयत-28)

यह आयत ऊपर पन्द्रहवें क्रम की आयत की पूरक है जिसमें काफ़ि़रों को
मरने के बाद नरक का दण्ड है, जो परलोक की बात है इसका इस लोक में
इस्लाम : आतंक या आदर्श?

लड़ाई-झगड़ा कराने या घृणा फैलाने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

पैम्फ्लेट में लिखी 17वें क्रम की आयत है :

“निःसन्देह अल्लाह ने ‘ईमान’ वालों (मुसलमानों) से उनके प्राणों और मालों को इसके बदले में ख़रीद लिया है कि उनके लिए ‘जन्नत’ है; वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं।” (क़ुरआन, सूरा-9, आयत-111)

गीता में है :

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥

(गीता अध्याय-2, श्लोक- 37)

“या (तो तू युद्ध में) मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा (संग्राम में) जीतकर, पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन! (तू) युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा।”

गीता का यह आदेश लड़ाई-झगड़ा बढ़ानेवाला नहीं है। यह अधर्म को बढ़ानेवाला भी नहीं है, क्योंकि यह तो अन्यायियों व अत्याचारियों का विनाश कर धर्म की स्थापना के लिए किए जानेवाले युद्ध के लिए है।

इन्हीं परिस्थितियों में अन्यायी, अत्याचारी मुश्किल काफ़िरों को समाप्त करने के लिए ठीक वैसा ही अल्लाह (यानी परमेश्वर) का फ़रमान भी सत्य-धर्म की स्थापना के लिए है, आत्मरक्षा के लिए है। फिर इसे ही झगड़ा करानेवाला क्यों कहा गया? ऐसा कहनेवाले क्या अन्यायपूर्ण नीति नहीं रखते? जनता को ऐसे लोगों से सावधान हो जाना चाहिए।

पैम्फ्लेट में लिखी 18वें क्रम की आयत है :

“अल्लाह ने इन मुनाफ़िक (अर्ध मुस्लिम) पुरुषों और मुनाफ़िक स्त्रियों और ‘काफ़िरों’ से ‘जहन्नम’ की आग का वादा किया है जिसमें वे सदा रहेंगे। यही उन्हें बस है। अल्लाह ने उन्हें लानत की और उनके लिए स्थायी यातना है।”

(क़ुरआन, सूरा-9, आयत-68)

सूरा-9 की इस 68वीं आयत के पहले वाली 67वीं आयत को पढ़ने के बाद इस आयत को पढ़ें; पहले वाली 67वीं आयत है :

“मुनाफ़िक़ मर्द और मुनाफ़िक़ औरतें एक दूसरे के हमजिन्स (यानी एक ही तरह के) हैं, कि बुरे काम करने को कहते और नेक कामों से मना करते और (खर्च करने से) हाथ बन्द किए रहते हैं, उन्होंने खुदा को भुला दिया तो खुदा ने भी उनको भुला दिया। बेशक मुनाफ़िक़ ना-फ़रमान हैं।” (क़ुरआन, सूरा-9, आयत- 67)

स्पष्ट है मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) मर्द और औरतें लोगों को अच्छे कामों से रोकते और बुरे काम करने को कहते हैं। अच्छे काम के लिए खोटा सिक्का भी न देते। खुदा (यानी परमेश्वर) को कभी याद न करते, उसकी अवज्ञा करते और खुराफ़ात में लगे रहते। ऐसे पापियों को मरने के बाद क्रियामत के दिन जहन्नम (यानी नरक) की सज़ा की चेतावनी देनेवाली अल्लाह की यह आयत बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए उतरी न कि लड़ाई-झगड़ा कराने के लिए।

पैम्फ़लेट में लिखी 19वें क्रम की आयत है :

“हे नबी! ‘ईमान’ वालों (मुसलमानों) को लड़ाई पर उभारो। यदि तुम में 20 जमे रहने वाले होंगे तो वे 200 पर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे, और यदि तुममें 100 हों तो 1000 ‘काफ़िरों’ पर भारी रहेंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझ-बूझ नहीं रखते।”

(क़ुरआन, सूरा-8, आयत- 65)

मक्का के अत्याचारी कुरैश व अल्लाह के रसूल (सल्ल0) के बीच होनेवाले युद्ध में कुरैश की संख्या अधिक होती और सत्य के रक्षक मुसलमानों की कम। ऐसी हालत में मुसलमानों का हौसला बढ़ाने व उन्हें युद्ध में जमाए रखने के लिए अल्लाह की ओर से यह आयत उतरी। यह युद्ध अत्याचारी व आक्रमणकारी काफ़िरों से था न कि सभी काफ़िरों या ग़ैर-मुसलमानों से। अतः यह आयत अन्य धर्मावलम्बियों से झगड़ा कराने का आदेश नहीं देती। इसके प्रमाण में हम एक आयत दे रहे हैं :

“जिन लोगों [यानी काफ़िरों] ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और

इस्लाम : आतंक या आदर्श?

इंसाफ़ का सुलूक करने से खुदा तुमको मना नहीं करता। खुदा तो इंसाफ़ करनेवालों को दोस्त रखता है।”

(क़ुरआन, सूरा-60, आयत- 8)

पैम्फ़लेट में लिखी 20वें क्रम की आयत है :

“हे ईमान लानेवालो (मुसलमानो) तुम ‘यहूदियों’ और ‘ईसाइयों’ को मित्र न बनाओ। ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। और जो कोई तुममें से उनको मित्र बनाएगा, वह उन्हीं में से होगा। निःसन्देह अल्लाह जुल्म करनेवालों को मार्ग नहीं दिखाता।”

(क़ुरआन, सूरा-5, आयत-51)

यहूदी और ईसाई ऊपरी तौर पर मुसलमानों से दोस्ती की बात करते थे लेकिन पीठ पीछे कुरैश की मदद करते और कहते, मुहम्मद से लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी इस चाल को नाकाम करने के लिए ही यह आयत उतरी जिसका उद्देश्य मुसलमानों को सावधान करना था, न कि झगड़ा कराना। इसके प्रमाण में क़ुरआन मजीद की यह आयत देखें :

“खुदा उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है, जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की, तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे, वही ज़ालिम हैं।”

(क़ुरआन, सूरा-60, आयत-9)

पैम्फ़लेट में लिखी 21वें क्रम की आयत है :

“किताबवाले जो न अल्लाह पर ‘ईमान’ लाते हैं न अन्तिम दिन पर, न उसे ‘हराम’ करते हैं जिसे अल्लाह और उसके ‘रसूल’ ने हराम ठहराया है, और न सच्चे ‘दीन’ को अपना ‘दीन’ बनाते हैं, उनसे लड़ो यहाँ तक कि वे अप्रतिष्ठित (अपमानित) होकर अपने हाथों से ‘जिज़या’ देने लगें।” (क़ुरआन, सूरा-9, आयत- 29)

इस्लाम के अनुसार तौरात, ज़बूर (Old Testament), इंजील (New Testament) और क़ुरआन मजीद अल्लाह की भेजी हुई किताबें हैं, इसलिए इन

किताबों पर अलग-अलग ईमान लानेवाले क्रमशः यहूदी, ईसाई और मुसलमान 'किताबवाले' या 'अहले-किताब' कहलाए। यहाँ इस आयत में किताबवाले से मतलब यहूदियों और ईसाइयों से है।

ईश्वरीय पुस्तकें रहस्यमयी होती हैं इसलिए इस आयत को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें यहूदियों और ईसाइयों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए लड़ाई का आदेश है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि इस्लाम में किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती की इजाज़त नहीं है।

कुरआन में अल्लाह मना करता है कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। देखिए :

“ऐ पैग़म्बर ! अगर ये लोग तुमसे झगड़ने लगें, तो कहना कि मैं और मेरी पैरवी करने वाले तो खुदा के फ़रमांवरदार हो चुके और 'अहले-किताब' और अनपढ़ लोगों से कहो कि क्या तुम भी (खुदा के फ़रमांवरदार बनते और) इस्लाम लाते हो? अगर ये लोग इस्लाम ले आर्यें तो बेशक हिदायत पा लें और अगर (तुम्हारा कहा) न मानें, तो तुम्हारा काम सिर्फ़ खुदा का पैग़ाम पहुँचा देना है। और खुदा (अपने) बन्दों को देख रहा है।” (कुरआन, सूरा-3, आयत- 20)

“और अगर तुम्हारा परवरदिगार [यानी अल्लाह] चाहता, तो जितने लोग ज़मीन पर हैं, सब के सब ईमान ले आते, तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो कि वे मोमिन [यानी मुसलमान] हो जाएं।” (कुरआन, सूरा-10, आयत- 99)

इस्लाम के प्रचार-प्रसार में किसी तरह की ज़ोर-ज़बरदस्ती न करने की इन आयतों के बावजूद इस आयत में 'किताबवालों' से लड़ने का फ़रमान आने के कारण वही हैं, जो पैम्फ़लेट में लिखी 8वें, 9वें व 20वें क्रम की आयतों के लिए मैंने दिए हैं। आयत में जिज़या नाम का टैक्स ग़ैरमुसलमानों से उनकी जान-माल की रक्षा के बदले लिया जाता था। इसके अलावा उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जबकि मुसलमानों के लिए भी ज़कात देना ज़रूरी था। आज तो सरकार ने बात-बात पर टैक्स लगा रखा है।

पैम्फ़लेट में लिखी 22वें क्रम की आयत है :

“-----फिर हमने उनके बीच ‘क्रियामत’ के दिन तक के लिए वैमनस्य और द्वेष की आग भड़का दी, और अल्लाह जल्द उन्हें बता देगा जो कुछ वे करते रहे हैं।” (कुरआन, सूरा-5, आयत- 14)

कपटपूर्ण उद्देश्य के लिए पैम्फ़लेट में यह आयत भी जान-बूझकर अधूरी दी गई है। पूरी आयत है :

“और जो लोग (अपने को) कहते हैं कि हम नसारा [यानी ईसाई] हैं, हमने उनसे भी अहद [यानी वचन] लिया था, मगर उन्होंने भी उस नसीहत का, जो उनको की गई थी, एक हिस्सा भुला दिया, तो हमने उनके आपस में ‘क्रियामत’ तक के लिए दुश्मनी और कीना [द्वेष] डाल दिया, और जो कुछ वे करते रहे खुदा बहुत जल्द उनको उससे आगाह करेगा।” (कुरआन, सूरा-5, आयत- 14)

पूरी आयत पढ़ने से स्पष्ट है कि वादा ख़िलाफ़ी, चालाकी और फ़रेब के विरुद्ध यह आयत उतरी, न कि झगड़ा कराने के लिए।

पैम्फ़लेट में लिखी 23वें क्रम की आयत है :

“वे चाहते हैं कि जिस तरह से वे ‘काफ़िर’ हुए हैं उसी तरह से तुम भी ‘काफ़िर’ हो जाओ, फिर तुम एक जैसे हो जाओ; तो उनमें से किसी को अपना साथी न बनाना जब तक वे अल्लाह की राह में हिजरत न करें, और यदि वे इससे फिर जावें तो उन्हें जहां कहीं पाओ पकड़ो और उनका वध (क़त्ल) करो। और उनमें से किसी को साथी और सहायक मत बनाना।” (कुरआन, सूरा-4, आयत- 89)

इस आयत को इसके पहले वाली 88वीं आयत के साथ मिलाकर पढ़ें, जो निम्न है :

“तो क्या वजह है कि तुम मुनाफ़िक़ों के बारे में दो गिरोह [यानी दो भाग] हो रहे हो? हाल यह है कि खुदा ने उनके करतूतों की वजह से औंधा कर दिया है। क्या तुम चाहते हो कि जिस शख़्स को खुदा ने गुमराह कर दिया है, उसको रास्ते पर ले आओ?”

(कुरआन, सूरा-4, आयत- 88)

स्पष्ट है कि इससे आगे वाली 89वीं आयत, जो पर्चे में दी है, उन मुनाफ़िकों (यानी कपटाचारियों) के सन्दर्भ में है, जो मुसलमानों के पास आकर कहते हैं कि हम 'ईमान' ले आए और मुसलमान बन गए और मक्का में काफ़िरो के पास जाकर कहते कि हम अपने बाप-दादा के धर्म में ही हैं, बुतों को पूजने वाले।

हम तो मुसलमानों के बीच भेद लेने जाते हैं, जिसे हम आप को बताते हैं। ये मुसलमानों के बीच बैठकर उन्हें अपने बाप-दादा के धर्म 'बुत-पूजा' पर वापस लौटने को भी कहते।

इसी लिए यह आयत उतरी कि इन कपटाचारियों को दोस्त न बनाना क्योंकि यह दोस्त हैं ही नहीं, तथा इनकी सच्चाई की परीक्षा लेने के लिए इनसे कहो कि तुम भी मेरी तरह वतन छोड़कर हिजरत करो अगर सच्चे हो तो। यदि न करें तो समझो कि ये नुक़सान पहुँचाने वाले कपटाचारी जासूस हैं, जो काफ़िर दुश्मनों से अधिक ख़तरनाक हैं। उस समय युद्ध का माहौल था, युद्ध के दिनों में सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे जासूस बहुत ही ख़तरनाक हो सकते थे, जिनकी एक ही सज़ा हो सकती थी; मौत। उनकी सन्दिग्ध गतिविधियों के कारण ही मना किया गया है कि उन्हें न तो अपना साथी बनाओ और न ही मददगार, क्योंकि ऐसा करने पर धोखा ही धोखा है।

यह आयत मुसलमानों की आत्मरक्षा के लिए उतरी न कि झगड़ा कराने या घृणा फैलाने के लिए।

पैम्फ़लेट में लिखी 24वें क्रम की आयत है :

“उन (काफ़िरो) से लड़ो ! अल्लाह तुम्हारे हाथों उन्हें यातना देगा, और उन्हें रुसवा करेगा और उनके मुक्राबले में तुम्हारी सहायता करेगा, और 'ईमान' वालों के दिल ठंडे करेगा।”

(क़ुरआन, सूरा-9, आयत-14)

पैम्फ़लेट में लिखी पहले क्रम की आयत में हम विस्तार से बता चुके हैं कि कैसे शान्ति का समझौता तोड़कर हमला करनेवालों के विरुद्ध सूरा-9 की ये आयतें उतरीं। पैम्फ़लेट में 24वें क्रम में लिखी आयत इसी सूरा की है जिसमें समझौता तोड़ हमला करनेवाले अत्याचारियों से लड़ने और उन्हें दण्डित करने का अल्लाह का आदेश है जिससे झगड़ा-फ़साद करनेवालों के हौसले पस्त हों

इस्लाम : आतंक या आदर्श? 50

और शान्ति की स्थापना हो। इसे और स्पष्ट करने के लिए कुरआन मजीद की सूरा-9 की इस 14वीं आयत के पहले वाली दो आयतें देखें :

“और अगर अहद [यानी समझौता] करने के बाद अपनी क्रसमों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में ताने करने लगे, तो उन कुफ़्र के पेशवाओं से जंग करो, (ये बे-ईमान लोग हैं और) इनकी क्रसमों का कुछ ऐतबार नहीं है। अजब नहीं कि (अपनी हरकतों से) बाज़ आ जाएँ।”
(कुरआन, सूरा-9, आयत- 12)

“भला तुम ऐसे लोगों से क्यों न लड़ो, जिन्होंने अपनी क्रसमों को तोड़ डाला और (खुदा के) पैगम्बर के निकालने का पक्का इरादा कर लिया और उन्होंने तुमसे (किया गया अहद तोड़ना) शुरू किया। क्या तुम ऐसे लोगों से डरते हो, हालाँकि डरने के लायक खुदा है, बशर्ते कि ईमान रखते हो।”
(कुरआन, सूरा-9, आयत- 13)

अतः शान्ति स्थापना के उद्देश्य से उतरी सूरा-9 की इन आयतों को शान्ति भंग करनेवाली या झगड़ा-फ़साद करानेवाली कहनेवाले या तो धूर्त हैं अथवा अज्ञानी।

निष्कर्ष : 40 वर्ष की उम्र में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को अल्लाह से सत्य का सन्देश मिलने के बाद से अन्तिम समय (यानी 23 वर्षों) तक अत्याचारी काफ़िरों ने मुहम्मद (सल्ल०) को चैन से बैठने नहीं दिया। इस बीच लगातार युद्ध और साज़िशों का माहौल रहा।

ऐसी परिस्थितियों में आत्मरक्षा के लिए दुश्मनों से सावधान रहना, माहौल गन्दा करनेवाले मुनाफ़िकों (यानी कपटाचारियों) और अत्याचारियों का दमन करना या उनपर सख़्ती करना या उन्हें दण्डित करना एक आवश्यकता ही नहीं, कर्त्तव्य था।

ऐसे दुष्टों, अत्याचारियों और कपटाचारियों के लिए ऋग्वेद में परमेश्वर का आदेश है :

मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः।

विदुष्टे तस्य मेधिरास्तेषां श्रवांस्युत्तिर ॥

(ऋग्वेद, मण्डल 1, सूक्त 11, मंत्र 7)

भावार्थ : बुद्धिमान मनुष्यों को ईश्वर आज्ञा देता है कि साम, दाम, दण्ड और भेद की युक्ति से दुष्ट और शत्रु जनों की निवृत्ति करके विद्या और चक्रवती राज्य की यथावत् उन्नति करनी चाहिए तथा जैसे इस संसार में कपटी, छली और दुष्ट पुरुष वृद्धि को प्राप्त न हों, वैसा उपाय निरन्तर करना चाहिए। (हिन्दी भाष्य महर्षि दयानन्द)

अतः पैम्फ्लेट में दी गई 24 आयतें अल्लाह के वे फ़रमान हैं, जिनसे मुसलमान अपनी व एकेश्वरवादी सत्य धर्म इस्लाम की रक्षा कर सकें। वास्तव में ये आयतें व्यावहारिक सत्य हैं। लेकिन अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कुरआन मजीद की इन आयतों की ग़लत व्याख्या कर और उन्हें जनता के बीच बंटवाकर कुछ स्वार्थी लोग, मुसलमानों व विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच क्या लड़ाई-झगड़ा कराने व घृणा फैलाने का बीज नहीं बो रहे? क्या यह सुनियोजित तरीक़े से जनता को बहकाना व वरगलाना नहीं है?

1986 में छपे इस पर्चे को अदालत के फ़ैसले की आड़ लेकर आख़िर किस मक़सद से छपवाया और बंटवाया जा रहा है?

जनता ऐसे लोगों से सावधान रहे, जो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस तरह के कार्यों से देश में अशान्ति फैलाना चाहते हैं।

ऐसे लोग क्या नहीं जानते कि दूसरों से सम्मान पाने के लिए पहले खुद दूसरों का सम्मान करना चाहिए।

ऐसे लोगों को चाहिए कि वे पहले शुद्ध मन से कुरआन को अच्छी तरह पढ़ लें और इस्लाम को जान लें, फिर इसके बाद ही इस्लाम पर टिप्पणी करें, अन्यथा नहीं।

हो सकता है इस पर्चे को छापने व बाँटने वाले भी मेरी तरह ही अनजाने में भ्रम में हों, यदि ऐसा है, तो अब सच्चाई जानने के बाद कई भाषाओं में छपनेवाले इस पर्चे को छपवाना-बंटवाना बन्द करें और अपने किए के लिए प्रायश्चित्त कर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें।

यहाँ एक घटना का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों पहले 'वैदिक धर्म और इस्लाम' विषय पर कानपुर में आयोजित एक सेमिनार में मेरे

व्याख्यान देने के बाद आर्यसमाजी एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि “स्वामी जी, आपने अभी इस्लाम के बारे बताया कि इस्लाम और वेदों के सत्य में आश्चर्यजनक रूप से समानता है। आपके बताए तर्कों से तो यही लगता है। फिर यह बताइए कि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा लिखे गए सत्यार्थप्रकाश¹ का 14 वाँ समुल्लास क्या ग़लत है?” यह एक ऐसा प्रश्न है जो उन लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से आएगा जिन्होंने सत्यार्थप्रकाश को पढ़ा है।

इसका उत्तर है- जैसा कि मैं अपने बारे में लिख चुका हूँ कि कुरआन की आयतों का सही मतलब जानने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि आयत क्यों उतरी और किन परिस्थितियों में उतरी? साथ ही कुरआन को समझने के लिए व्यक्ति के मन में इस्लाम के प्रति सकारात्मक (Positive) दृष्टिकोण भी होना चाहिए यानी मन शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि ईश्वरीय किताबें बहुत रहस्यमयी होती हैं। उन्हें समझना आसान बात नहीं। वेदों को ही ले लीजिए वैदिक मंत्रों का सही अर्थ करना अत्यन्त कठिन काम है। मंत्रों का अर्थ करते समय लोगों की जैसी मानसिकता होगी वह मंत्रों के अर्थ को समझने में प्रभावित कर देती है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती बहुत बड़े विद्वान थे लेकिन स्वामी जी अरबी भाषा नहीं जानते थे। स्वामी जी ने मेरी ही तरह इस्लाम के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कुरआन का सीधा-सीधा अनुवाद देखा या सुना। यह नहीं देखा कि आयत क्यों उतरी और किन परिस्थितियों में उतरी व आयत का मक़सद क्या है? तथा आयत किस सन्दर्भ में है? इसी लिए मेरी ही तरह कुरआन को लेकर वे भ्रमित हो गए और उसके प्रति ग़लत धारणा बना ली। स्वामी जी बड़े ही विद्वान थे ग़लती उनसे नहीं हुई, बल्कि उससे हुई जिसने स्वामी जी को कुरआन ठीक से समझाया नहीं या कुरआन की आयतों को ठीक से समझने का तरीका नहीं बताया। यदि स्वामी जी ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की जीवनी और उनके कथन यानी हदीसों पढ़ी होतीं तो निश्चित रूप से वे कुरआन के बारे में वही कहते या लिखते जो मैं आज कह रहा हूँ या लिख रहा हूँ।

1. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपनी लिखी एक किताब ‘सत्यार्थप्रकाश’ में मुख्य धर्मों व मतों की समीक्षा की है। इस किताब के 14वें समुल्लास (यानी अध्याय) में इस्लाम के बारे में ग़लत और भ्रामक जानकारी दी गई है।